न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खागा, फतेहपुर।

आपराधिक परिवाद संख्या–1034/2015
राम सुमेर बनाम राम मिलन आदि।

तलबी आदेश

दिनांक–19/11/2016:–पत्रावली पेष हुई। पुकार पर परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। तलब करने के प्रष्न पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का परिषीलन किया।

प्रस्तुत परिवाद परिवादी राम सुमेर द्वारा अभियुक्तगण 1–राम मिलन, 2–लालजी व 3–सीताराम के विरूद्ध संस्थित किया गया है। परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा–200 द0प्र0सं0 तथा गवाहान पी0डब्लू0–1 गोधनी व पी0डब्लू0–2 फूलकली के बयान अन्तर्गत धारा–202 द0प्र0सं0 अंकित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को भेजे गये प्रार्थना पत्र की कार्बनप्रति, रजिस्ट्री रसीद एस0पी0 फतेहपुर, डी0ई0जी0 पुलिस लखनऊ, क्षेत्राधिकारी खागा, फतेहपुर को प्रस्तुत किया गया है। परिवादी ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 द0प्र0सं0 में अभियुक्तगणों के विरूद्ध गाली गुप्ता देते हुये परिवादी को मारने पीटने का कथन किया है। परिवादी के इस कथन को पी0डब्लू0–1 गोधनी व पी0डब्लू0–2 फूलकली ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा–202 द0प्र0सं0 में कहा है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने व पत्रावली का परिषीलन करने से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध गाली गुप्ता देते हुये परिवादी को मारने पीटने के सन्दर्भ में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। परिवादी के उक्त कथन को पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 भी अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा–202 द0प्र0सं0 द्वारा समर्थित किया है। पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 के घर में घुसकर मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने की बात विश्वसनीय प्रतीत नही हो रही है। क्योंकि परिवादी ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 द0प्र0सं0 में इस तथ्य का कथन नही किया है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियो पर विचार करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि प्रलेखीय साक्ष्य और परिवादी का साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 द0प्र0सं0 व गवाहान पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 के साक्ष्य अन्तर्गत धारा–202 द0प्र0सं0 के आधार पर अभियुक्तगण 1–राम मिलन, 2–लालजी व 3–सीताराम द्वारा गाली गुप्ता देते हुये परिवादी को मारने पीटने का प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण 1–राम मिलन, 2–लालजी व 3–सीताराम को अन्तर्गत धारा–323,504 भा0द0वि0 विचारण हेतु आहूत किये जाने योग्य हैं।

आदेष

अभियुक्तगण 1–राम मिलन, 2–लालजी व 3–सीताराम को अन्तर्गत धारा–323,504 भा0द0वि0 के तहत विचारण हेतु आहूत किया जाता है। बाद पैरवी अभियुक्तगणों को सम्मन जारी हो। परिवादी आवष्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक–23/12/2016 को पेष हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
खागा, फतेहपुर।